

Order Sheet [Contd]

Case No - B.A --08 / 2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
07-01-2017	<p>आवेदक/आरोपी बंटी की ओर से श्री के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता।</p> <p>विशेष न्यायालय विद्युत लहार जिला भिण्ड से प्र०क० 101/2015 विद्युत म.प्र.म.क्षे.वि.मण्डल लहार वि० बंटी प्राप्त।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पर सुना गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी वार्ड क्रमांक 3 लहार का मूल निवासी है, उसके विरुद्ध विरोधियों के द्वारा विद्युत विभाग लहार से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया है और विद्युत विभाग के द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। उक्त परिवाद में आवेदक के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जिसमें कि आवेदक को पुलिस के द्वारा दिनांक 05.01.2017 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक अपने परिवाद का भरण पोषण करता है वह नवयुवक है यदि अधिक समय तक निरोध में रखा गया तो उसके परिवाद के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगा अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग के द्वारा धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया था और पुनः चैक करने पर आरोपी को द्वारा उक्त कनेक्शन जोड़कर उसका उपयोग अवैध रूप से किया जाना पाया गया। आरोपी दिनांक 05.01.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में अभी समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से न्यायालय की</p>	

संतुष्टि योग्य 30,000/- (तीस हजार रुपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जाये।

आदेश की एक प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जाए।

संबंधित मूल प्रकरण विशेष न्यायालय विद्युत लहार की ओर भेजा जावे।

प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 12.01.2017 को पेश हो।

(डी.सी.थपलिया)

विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)